राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

नागरिक चार्टर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सृजन संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और एक नया अनुच्छेद 338क जोड़ कर संविधान (89वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के माध्यम से दिनांक 19.02.2004 से किया गया है।

दृष्टि

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अत्यंत उत्साह एवं समर्पण के साथ भारत के संविधान द्वारा सौंपे गए अपने अधिदेशों का पालन करेगा। ऐसा करते हुए आयोग देश की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संवैधानिक, समाजार्थिक, विधिक एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करेगा और देश की अनुसूचित जनजातियों के हितों का सुरक्षण करने के लिए आसान पहुंच और न्याय के प्रभावी वितरण को सुगम बनाएगा।

मिशन(उदेश्य)

1. अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना।
2. अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को प्रदत्त संवैधानिक एवं विधिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना।
3. शिकायतों को देखना और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों एवं समाजार्थिक सुरक्षणों के उल्लंघन एवं अभिवंचन के मामलों की जांच कराना।
4. अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के संरक्षण एवं सुरक्षणों के प्रोत्साहन के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को सिफारिशें देना।
5. अनुसूचित जनजातियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए तत्परतापूर्वक सिफारिशें करना।
6. संवैधानिक प्रावधानों के साथ सामंजस्य से अनुसूचित जनजातियों के सर्वोच्च हित में बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय तथा अधिकारों के एजेंट के रूप में कार्य करना।

हमारे ग्राहक

अनुसूचित जनजातियों में, खासकर, संवेदनशील जनजातीय समूहों पर ध्यान केन्द्रित करना।

सेवाएं

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य, कर्त्तव्य और शक्तियां संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8)

और (9) द्वारा निर्धारित की गई हैं। खंड (5) में यह कहा गया है कि आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–

- अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्याकंन करे;
- अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और संघ तथा किसी राज्य के अधिन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;
- उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;
- ऐसी रिपोर्ट में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिएं, तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और
- अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध मे ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

अनुच्छेद 338क का खण्ड (8) यह व्यवस्था करता है कि आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होगी, जो वाद के विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थातः–

- भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षण करना,
- किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना,
- शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना,
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,
- साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षा के लिए कमीशन निकालना,
- कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें।

खण्ड (9) प्रावधान करता है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। आयोग,

अतिरिक्त कर्तव्य

अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण एवं विकास तथा उन्नति के संबंध में निम्नलिखित अन्य कार्यों को निष्पादित करेगा, नामतः –

(i) वन–क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उत्पादों के संबंध में स्वामित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करना,

(ii) विधि द्वारा यथा निर्धारित खनिज संसाधनों, जल संसाधनों आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों के सुरक्षण के लिए उपाय करना,

(iii) जनजातीय व्यक्तियां के विकास के मार्ग में आने वाली कमियों को दूर करने तथा अधिक ठोस आजीविका नीतियों पर कार्य करने के लिए उपाय करना,

(iv) विकासात्मक परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए सहायता एवं पुनर्वास उपायों की प्रभावशीलता को सुधारने के लिए उपाय करना,

(v) जनजातीय लोगों को भूमि से हस्तांतरित करने से रोकने और उन लोगों के मामले में प्रभावी पुनर्वास करने, जिनके हस्तांतरण के मामले पहले ही हो चुके हैं, के लिए उपाय करना,

(vi) वनों को संरक्षित करना एवं सामाजिक वनीकरण करने के लिए अधिकतम सहयोग प्राप्त करने एवं जनजातीय समुदायों को इसमें संलग्न करने के लिए उपाय करना,

(vii) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करना सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना,

(viii) जनजातीय लोगों द्वारा झूम–कृषि की परम्परा को कम करने और अंत में इसका उन्मूलन करने के लिए उपाय करना, जिसने उन्हें लगातार कमजोर किया है और भूमि तथा पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है।

शिकायत निवारण तंत्र

विकास स्कीमों के प्रभाव को मॉनिटर करने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए आयोग ने मुख्य सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित करके एवं जमीनी स्तर पर दौरे करके अधिक तत्परता से राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया है। आयोग महसूस करता है कि इन दौरों एवं बैठकों के परिणाम स्वरूप राज्य एवं संघ शासित प्रदेश सरकारें, अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक समस्याओं के बारे में अधिक सचेत होंगी और सुधारात्मक उपाय करने तथा उपयुक्त कार्य–नीतियां अपनाने में आवश्यक कदम उठाएंगी।

आयोग ने अपने मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जमीनी स्तर की जांचें एवं अध्ययन किये हैं। इस प्रक्रिया ने, विशेषतया अनुसूचित जनजातियों के प्रति, अपराधों एवं